न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 19/2013

बउनवान

1– अब्दुल कयूम पुत्र नूर मोहम्मद आयु 50 वर्ष जाति–मुसलमान,
निवासी–सीसवाली तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

1–मृतक रामेश्वर पुत्र गोपाल जाति–माली निवासी–सीसवाली
1/1–श्रीमती सीताबाई बेवा रामेश्वर जातिगण–माली नि. सीसवाली
1/2–हेमराज पुत्र रामेश्वर तहसील–मॉगरोल जिला–बारां
1/3–मुकेश पुत्र रामेश्वर
1/4–धन्नी पुत्री रामेश्वर
1/5–दुलारी पुत्री रामेश्वर
1/6–मन्जू पुत्री रामेश्वर
2–मृतक रामचन्द्र पुत्र गोपाल जाति–माली निवासी–सीसवाली
2/1–भूरी बेवा रामचन्द्र जातिगण–माली नि.सीसवाली
2/2–गिर्राज पुत्र रामचन्द्र तहसील–मॉगरोल जिला–बारां
2/3–महावीर पुत्र रामचन्द्र
2/4–सावित्रीबाई पुत्री रामचन्द्र
2/5–रूकमणी बाई पुत्री रामचन्द्र
2/6–विमला पुत्री रामचन्द्र
3–चतुर्भज पुत्र गोपाल जातिगण–माली नि.सीसवाली
4–नन्दकिशोर पुत्र गोपाल तहसील–मॉगरोल जिला–बारां
5–कांतिबाई पुत्री गोपाल
6–ललिता पुत्री गोपाल
7–पुष्पा पुत्री गोपाल
8–राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल जिला–बारां (रेस्पोंडेंटस्)

अपील नियम–17(चम्बल परियोजना, सरकारी भूमियों के आवंटन) नियम,1957 विरूद्व भू आवंटन आदेश दिनांक 11.02.1974

उपस्थिति :–1. श्री हरीओम चतुर्वेदी,अभिभाषक (अपीलांट)

निर्णय दिनांक– 08.07.2019

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भू आवंटन आदेश दिनांक 11.12.1974 विधि संचिका के नियम एवं प्रावधानो के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वाके माल सीसवाली तहसील–मॉगरोल के हाल खसरा नम्बर 4597 रकबा 1.20 है0 व खसरा नं0 4597/5677 रकबा 0.60 है0 आराजी पर गत 35 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त है। उक्त खसरा नम्बर के साबिक खसरा नं0 918 के क्षेत्रफल का भाग

है। इस साबिक ख0नं0 918 की दक्षिणी–पश्चिमी ओर से लगभग 10 बीघा आराजी पर अपीलांट विगत 35 वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा था। अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी का वर्तमान खसरा नं0 4597/5677 रकबा 0.60 है0, 4597 रकबा 1.20 है0 है।

2– भू आवंटन कमेटी ने हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी जो आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होते हुये भी रेस्पोडेंटगण के पिता गोपाल को आवंटन करने में भारी भूल की है। अपीलांट के 10 बीघा कब्जे काश्त की आराजी में से हाल खसरा नम्बर 4597 रकबा 1.20 है0 आराजी रेस्पों0 के पिता मृतक गोपाल को आवंटन कर दी व हाल खसरा नं0 4597/5677 रकबा 0.66 है0 आराजी अवैध रूप से रामपाल बैरवा,सीसवाली को 5 बीघा आराजी दिनांक 14.5.86 को आवंटन कर दी जिसे अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहॉ चुनौती देकर आवंटन अपील संख्या 107/1992 से निरस्त करवाया है।

3– साथ हीं लिखा है कि अपीलांट को निर्णय दिनांक 24.11.93 की पालना में खसरा नम्बर 4597/5677 रकबा 0.66 है0 का आवंटन किया गया है। जबकि खसरा नम्बर 4597 रकबा 1.20 हैक्टर आराजी साबिक खसरा नम्बर 918 का भाग है और मृतक गोपाल के आवंटन पूर्व से अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रहीं है। मृतक गोपाल को साबिक खसरा नम्बर 918/1 रकबा 23 बीघा आराजी दिनांक 11.12.1974 को आवंटन कर दी। आवंटी द्वारा दो वर्ष की अवधि में आवंटित आराजी को काश्त नहीं किया है ना हीं आवंटन की शर्तो की पालना की तथा ना हीं आवंटन की कीमत जमा करवायी है। रेस्पो0 के कब्जे काश्त में हाल खसरा नम्बर 4595 रकबा 0.61 है0, ख0नं0 4596 रकबा 1. 94 है0 आराजी है। खसरा नम्बर 4597 रकबा 1.20 हैक्टर आराजी अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रहीं है। इस प्रकार साबिक खसरा नम्बर 918/1 व खसरा नम्बर 918/2 के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर अपीलांट विगत 35 वर्षो से अधिक समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। आवंटित आराजी वर्तमान में रेस्पोडेंट के गैर खातेदारी में दर्ज है। रेस्पोंडेट्स, अपीलांट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 4597 रकबा 1.20 हैक्टर से बेदखल करने पर आमादा है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, आंवटन आदेश दिनांक 11.12.1974 से आवंटित आराजी खसरा नम्बर 4597 रकबा 1.20 है0 का आवंटन निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट के पक्ष में आवंटन या नियमन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

4– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

5– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि रेस्पोंडेट के पिता श्री गोपाल पुत्र धूलीलाल माली निवासी सीसवाली को मुकाम सीसवाली की आराजी खसरा नम्बर 918/1 की 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी थी। उक्त आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 4595 रकबा 0.61 है0, 4596 रकबा 1.94 है0, 4597 रकबा 1.20 हैक्टर किता 3 रकबा 3.75 हैक्टर वर्तमान में

रेस्पोडेंट के गैरखातेदारी में दर्ज है। अपीलांट को साबिक ख0नं. 918 जो काफी बडा भाग है इसमें से ख0नं0 4597/5677 रकबा 0.66 है0 आवंटित हुयी जिसपर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है।

6— रेस्पों के पिता श्री गोपाल जी को विवादित आराजी ख0नं0 4597 रकबा 1.20 है0 गलत आवंटित हुई है, वक्त आवंटन साबिक खसरा नं0 918 के दक्षिणी पश्चिमी भाग लगभग 10 बीघा जिसके वर्तमान ख0नं0 4597 रकबा 1.20 है0 व ख0नं0 4597/5677 रकबा 0.66 है0 बने है, जिसमें से ख0नं0 4597/5677 की आराजी अपीलांट को आवंटित की गयी है। किन्तु अपीलांट को आवंटन कमेटी द्वारा ख0नं0 4597 रकबा 1.20 है0 भूमि वक्त आवंटन आवंटित नहीं की। जबकि अपीलांट उक्त आराजी पर लगभग 35 वर्षो से काबिज काश्त है। इसलिये रेस्पोडेंट के पिता को उक्त आराजी काबिज काश्त नहीं होने के बावजूद, आवंटित की गयी है। आवंटी का आज दिनांक तक ना तो कोई कब्जा है ना हीं आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना की गयी है। अपीलांट कब्जे काश्त के आधार पर उक्त आराजी के आवंटन व नियमन की पात्रता रखता है। अपीलांट भूमिहीन की श्रेणी में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, रेस्पोडेंट के पिता गोपाल के भू आवंटन दिनांक 11.12.1974 में से आवंटित आराजी हाल खं0न0 4597 रकबा 1.20 है0 का आवंटन निरस्त किया जाकर, उक्त आरांजी अपीलांट के आवंटित या नियमन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

7— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा केम्प सीसवाली में दिनांक 11.12.1974 को रेस्पोडेंट के पिता गोपाल पुत्र धूलीलाल निवासी सीसवाली को ख0नं0 918 की 23 बीघा 4 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी है जिसके मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वर्तमान में रेस्पोडेंट्स के उक्त आराजी के साबिक ख0नं0 4595 रकबा 0.61 है0, 4596 रकबा 1.94 है0, 4597 रकबा 1.20 है0 किता 3 रकबा 3.75 है0 गैर खातेदारी में दर्ज है। इस आराजी के अतिरिक्त ख0नं0 4597/5677 रकबा 0.60 है0 अपीलांट को दिनांक 28.1.1999 को आवंटित हुयी है। अपीलांट द्वारा अपील में मुख्य अनुतोष रेस्पोडेंट के गैरखातेदारी में दर्ज आराजी ख0नं0 4597 रकबा 1.20 है0 को उसके कब्जे काश्त के आधार पर, निरस्त किया जाकर, अपने पक्ष में आवंटन या नियमन चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की भू आवंटन पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि विवादित आराजी रेस्पोडेंट के पिता श्री गोपाल पुत्र धूलीलाल नि.सीसवाली को विधिवत आवंटित हुई है तथा दखल भी दिया गया है। आवंटन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.08.06 10:20:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: